

समकारी लेवी को समाप्त करने का प्रस्ताव

स्रोत: द हट्टि

केंद्र सरकार ने समकारी लेवी (Equalisation Levy) को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया है, जिससे गूगल, एक्स (पूर्व में ट्विटर) और मेटा जैसे डिजिटल प्लेटफार्मों पर वजिआपनदाताओं को कर का बोझ कम होने से लाभ होगा।

समकारी लेवी (डिजिटल सेवा कर):

- **परिचय:** वर्ष 2016 में शुरू की गई समकारी लेवी, भारत में डिजिटल लेनदेन से उत्पन्न आय पर कर लगाने के लिये विदेशी डिजिटल सेवा प्रदाताओं पर लगाया गया एक प्रत्यक्ष कर है।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य भारत में भौतिक उपस्थिति नहीं रखने वाले डिजिटल व्यवसायों के लिये उचित कराधान सुनिश्चित करना है, जो कर से बचने पर अंकुश लगाने के लिये BEPS (आधार कषरण और लाभ स्थानांतरण) कार्य योजना के साथ संरेखित है।
- **प्रयोज्यता:** यह सेवा प्राप्तकर्त्ता द्वारा भुगतान के समय आहरित किया जाता है यदि:
 - भुगतान एक अनवासी सेवा प्रदाता को किया जाता है।
 - एक वित्तीय वर्ष में एकल प्रदाता को वार्षिक भुगतान 1,00,000 रुपये से अधिक है।
- **कवर की गई सेवाएँ और कर की दरें:** समकारी लेवी शुरू में ऑनलाइन वजिआपनों (6%) पर लागू होती थी और इसे वर्ष 2020 में डिजिटल सेवाओं और ई-कॉमर्स (2%) को कवर करने के लिये विस्तारित किया गया था, जिसे अगस्त 2024 में समाप्त कर दिया गया।
- **छूट:** यदि अनवासी का भारत में स्थायी कार्यालय है, भुगतान 1 लाख रुपये से कम है, या आय दोहरे कराधान को रोकने के लिये धारा 10(50) के अंतर्गत आती है तो यह लागू नहीं होती है।
 - तकनीकी सेवाओं के लिये रॉयल्टी या शुल्क के रूप में कर योग्य आय को इसमें शामिल नहीं किया गया है।

What is Equalisation levy?

The equalization levy shall be charged at the rate six per cent of the amount of consideration paid to a non resident not having any permanent establishment in India, for specified services. Following are the specified services:

any other facility or service for the purpose of online advertisement

any provision for digital advertising space

Online Advertisement

includes any other service as may be notified by the Central Government in this behalf.

और पढ़ें: [बजट 2024-25 में प्रमुख आर्थिक सुधार](#)

